न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू :–14.07.2017

सिविल प्रकरण संख्याः– 39 / 2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश मथुरिया पुत्र श्री मुरारी लाल मथुरिया (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) निवासी खण्डार, जिला सवाई माधोपुर मैसर्स ओमप्रकाश मुकेश कुमार मैन बाजार खण्डार तहसील के सामने खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. राजेश गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल (फर्म मालिक) निवासी गोयल भवन हजारी का मोहल्ला अलवर मैसर्स श्री श्याम वैभव इण्डस्ट्रीज, 1 पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया अलवर जिला अलवर
3. मैसर्स श्री श्याम वैभव इण्डस्ट्रीज, 1 पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया अलवर जिला अलवर

..........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 20/10/2022

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 17.09.2016 को समय 03.00 पी.एम. पर मैसर्स– ओमप्रकाश मुकेश कुमार मैन बाजार खण्डार तहसील के सामने खण्डार जिला सवाई माधोपुर पहुंचा वहा पर ओमप्रकाश मथुरिया पुत्र श्री मुरारी लाल मथुरिया (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) निवासी खण्डार, जिला सवाई माधोपुर उपस्थित थे, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की गई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में विकय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** 500 ग्राम के लगभग 20 पौली पैक दुकान में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** 500 ग्राम के 04 पोली पैक जांच हेतु कय कर राशि 340/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** 500 ग्राम के 04 पोली पेक को प्रत्येक को प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर अच्छी तरह से बंद किया। आवेदक ने चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

एच–1021 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ओमप्रकाश मथुरिया पुत्र श्री मुरारी लाल मथुरिया ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेषक, प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/3066 दिनांक 07.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 196/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/356 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** 500 ग्राम पौली पैक मिसब्राण्ड (Mis-Branded) पाया गया। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तो ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** का विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से एड0 सत्येन्द्र कुमार गोयल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** 500 ग्राम पौली पैक मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** ब्राण्ड का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(Zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(b) की धारा का उल्लघंन किये जाने का ब[illegible] वाले अभियुक्त ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिय[illegible] ध[illegible] 3(1)(Zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनि[illegible] 2.2.2(b) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) का सारभूत अनुपालन किया गया है। हमारा एकल संघटक होने के कारण विनियम 2.2.2(b) लागू नहीं होता है। हमारे

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 18:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उत्पाद में किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 196/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/356 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(Zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(b) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। हमारा एकल संघटक होने के कारण विनियम 2.2.2(b) लागू नहीं होता है। हमारे उत्पाद में किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके. प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(b) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि जांच रिपोर्ट में खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना मिर्च पाउडर (मामा ब्राण्ड) में Ingredients given but not as per regulations contravention Regulation No. 2.2.2(b) of Food Sefety & Standrds (packaging and labeling) Regulation 2011 दर्शाया गया है परन्तु रिपोर्ट में Ingredients का उल्लेख (वर्णित) नहीं किया गया है। जबकि मिर्च पाउडर में प्रथम Ingredient मिर्च तथा दूसरा Ingredient खाद्य तेल होता है। किन्तु खाद्य विश्लेषक द्वारा Admixture of Edbile Oil (Name) का रिपोर्ट में कहीं भी विवरण नहीं लिखा है। अतः रिपोर्ट अनुसार मिर्च पाउडर एकल संघटक प्रतीत होता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(b) के अन्तर्गत कोई अपराध मेरी राय में कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 196/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2016/356 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल **Lal Mirch Lal Powder (Mama Brand)** मेरी राय में न तो मिस ब्राण्ड पाया गया है और ना हीं सब स्टेण्डर्ड। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस तरीके के प्रकरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व भली–भांति जांच कर लें।

निर्णय आज दिनांक 20/10/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर